20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

97

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग – 3019 – I – 16

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी

1. डॉ. रामस्वरूप गोस्वामी पुत्र दुर्गादास गोस्वामी,
2. मनोज कुमार पुत्र डॉ. रामस्वरूप गोस्वामी, निवासीगण वार्ड क्र. 14 इन्दरगढ़ दतिया (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

संतोष कुमार पुत्र निवासी वार्ड क्र. 14 इन्दरगढ़ दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 3-9-16 को प्रस्तुत

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया म.प्र. के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.16 एवं पूर्व की समस्त आदेश पत्रिकाऐं</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विवादित सर्वे नं. 1480 रकवा 0.04 हैक्टयर स्थित भूमि ग्राम इन्दरगढ़ में 4300 वर्गफीट भूमि का कब्जा दिलाये जाने बावत अनावेदक द्वारा दिनांक 04.10.14 को न्यायालय तहसीलदर इन्दरगढ़ जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण क्रमांक दर्ज होकर अनावेदक को नोटिस जारी हुआ एवं राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी किया गया। दिनांक 11.12.14 को राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके स्थिति एवं विधि विपरीत अधिकारिता विहीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

1. यहकि, दिनांक 15.12.14 आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत पेशी क्रमांक जो क्रमशः इस प्रकार हैं दिनांक 19.12.14, 06.01.15, 07.03.15, 07.04.15, 30.04.15, 12.05.15, 18.05.15, 21.05.15, 15.06.15 एवं 06.07.15 ।
2. यहकि, दिनांक 06.07.15 को पुनः राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन नहीं है कब्जा का प्रकार क्या है बिना सीमांकन के कब्जा कैसे सिद्ध होगा। पुनः प्रतिवेदन लिया जावे पेशी दिनांक 22.07.15, 23.07.15, 23.11.15, 08.12.15, 31.12.15, 19.01.16, 09.02.16, 27.02.16 एवं 04.03.16 प्रकरण पुनः आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया गया दिनांक 09.03.16, 10.03.16, 17.03.16, 21.03.16, 28.04.16, 19.05.16, 28.07.16, 06.08.16 एवं 31.08.16 पेशी नियत की गई।

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3019–एक/2016 जिला–दतिया

डॉ. रामस्वरूप गोस्वामी व अन्य विरूद्ध संतोष कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य	